

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3361

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 18 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

कंपनियों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न

3361. श्री संजय धोत्रे :

श्री भर्तृहरि महताब :

श्री राम चरित्र निषाद :

कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध विभिन्न कंपनियों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के कई मामले सामने आए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में सामने आए मामलों की कंपनी-वार संख्या कितनी है;
- (ग) क्या सरकार ने इन मामलों की कोई जांच करवाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परिणाम क्या हैं; और
- (घ) सरकार द्वारा उक्त कंपनियों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री  
(जेटली)

(श्री अरूण

(क) से (घ): भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने वित्त मंत्रालय के माध्यम से यह सूचित किया है कि सूचीबद्ध समझौते में एक नया खंड 55 जोड़ा गया है जिसमें सूचीबद्ध कंपनियों को उनके वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) को शामिल करने की आवश्यकता का प्रावधान है। दिनांक 31 मार्च, 2012 तक बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। बीआरआर के निर्धारित फार्मेट में सूचीबद्ध कंपनियों को अन्य विषयों के साथ-साथ पिछले वित्त वर्ष की यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की संख्या और वित्त वर्ष की समाप्ति पर लंबित शिकायतों की सूचना देना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध शीर्ष 100 कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों में उल्लिखित यौन उत्पीड़न शिकायतों की संख्या निम्नलिखित है-

2012-13	2013-14	2014-15
63	179	454

इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय को एनएसई में सूचीबद्ध कंपनियों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न का कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त सेबी द्वारा सूचित किया गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामले में कोई कार्रवाई या प्रवर्तन कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार किया जाता है।

\*\*\*\*\*